an>

Title: Need to reimburse the amount of scholarship paid to students belonging to backward classes in Maharashtra.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) ः महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के सचिव द्वारा केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव को पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु केंद्र की ओर से वर्ष 2001-2002 से वर्ष 2013-2014 तक के बीच की अवधि की बकाया 1392.61 करोड़ रूपए की रिम्बर्समेंट राशि को जारी किए जाने हेतु प्रस्ताव भेजे गये हैं और उक्त राशि को जारी किए जाने हेतु 29 रिमाईंडर लेटर भी प्रेषित किए हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अब तक यह बकाया राशि जारी नहीं की गयी है। राज्य के पिछड़े वर्ग के योग्य छात्रों के लिए छात्रवृत्ति हेतु बकाया केंद्रीय धन का आवंटन शीघ्र सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

अतः मेरा माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी से अनुरोध है कि वह महाराष्ट्र राज्य के पिछड़े वर्ग के योग्य छात्रों के लिए छात्रवृत्ति हेतु बकाया केंद्रीय धन का आवंटन शीघ्र सुनिश्चित किए जाने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।